Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com
PEER REVIEWED JOURNAL, JULY-AUG, 2018, VOL- 6/46

'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' : परिकल्पना, स्थिति एवं सम्भावनएं

सोनी गुप्ता

(शोध–अध्येता), समाजशास्त्र, जे0एस0 यूनिवर्सिटी, शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद (उ0प्र0)–283135

Abstract

सर्व प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के समय, भारत में आमजन के लिए 'खाद्य पदार्थों की कमी' महसूस की गयी; तब राष्ट्र सरकार ने इस कमी की पूर्ति के लिए एक सार्वजनिक नीति बनाने की योजना बनायी, किन्तु नीति नियोजकों के मन में परिकल्पना थी कि अपर्याप्त योजना से मानवीय कल्याण, सामाजिक न्याय तथा प्रजातंत्र प्राप्त करने की सभी आशाएं पूर्ण होना सम्भव न हो सकेगा। बावजूद इसके अन्ततोगत्वा केन्द्र सरकार ने 1942 में जनहित की 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' नामक योजना राष्ट्र स्तर पर क्रियान्वित की; जिसमें आम जनता को खाद्यान्न तथा आवश्यक दैनिक उपभोग व उपयोगी वस्तुएं; क्षेत्र प्रशासन द्वारा पंजीकृत राशन की दुकानों से, शासन के अभिकरणों द्वारा निर्धारित वस्तुएं उचित मूल्यों तथा परिवार सापेक्ष राशन कार्डों पर प्रति प्रौढ़ व प्रति बालक निर्धारक मानक/कोटा (Quota) के अनुरूप प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध करायी गयीं ताकि देश की अधिकाँशतः गरीब जनता राशनिंग व्यवस्थान्तर्गत न्यूनतम जीवन–निर्वाह स्तर पर जीवनयापन कर सके। इसके सुचारू संचालन हेतु सन् 1960 में इस प्रणाली को संवैधानिक स्वरूप देकर सन् 1965 में 'भारतीय खाद्य निगम' को इसका सांगठनिक तौर पर सम्पूर्ण दायित्व इस आशय से सौंपा गया कि इस अहम तथा महत्वाकाँक्षी जनहित योजना का वास्तविक लाभ शहरी जनता तक ही नहीं; अपितु सुदूर ग्रामीण अंचलों में बसी गरीब जनता तक पहुँचे। साम्प्रत; सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफल क्रियान्वयन हेतु 31 मार्च 1993 में जिला स्तरीय मुख्य अभिकरण ''जिला आपूर्ति विभाग'' की देखरेख/निर्देशन में उचित मूल्य की राशन की दुकानें (बाद में इनका नाम ''सरकारी राशन की दुकानें'' कर दिया गया) 1994 में 'सहकारी उपभोक्ता भण्डार' तथा सस्ते कपड़े की कन्ट्रोल बिक्री–दुकानें (जो अब बन्द कर दी गयी है) ; ''न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम'' (Common Minimum Programme) के ''एक अंग'' तथा अभिकरण के रूप में जन सेवार्थ स्थापित किए गए। लेकिन योजना से सम्बन्धित विभिन्न अभिकरणों तथा योजना के ढाँचागत व क्रियान्वयन में व्याप्त विभिन्न दोषों (जिनमें गुणवत्ताहीन वस्तुएं देना, मिलावट, घटतौली, काला बाजारी, जमाखोरी तथा आर्थिक भृष्टाचार आदि प्रमुखतः उल्लेखनीय हैं) के कारण सफल न हो सकी, और शनैः शनैः अब यह योजना; जो कि कुछ समय पूर्व तक ए0पी0एल0 परिवारों तक अपनी सेवाएं सतत् दे रही थी; भृष्टाचार की भेंट चढ़ जाने के कारण सिमट कर अब समाज के केवल ''आर्थिक निम्न वर्ग'' (बी0पी0एल0) परिवारों तक ही सीमित रह गयी हे जो उपभोग की आवश्यक वस्तुओं गेहूँ, चावल, चीनी तथा यदाकदा मिट्टी का तेल महिने में कभी भी देकर; सिसकते हुए गरीबों का अद्यतन सहारा बनी हुई है।

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

- **शोध में प्रयुक्त सम्प्रत्यय/अवधारणाएं** :

(1) निर्धनता की सीमारेखान्तर्गत (Below Poverty Line)/बी0पी0एल0 परिवारों की श्रेणी में, नीति आयोग न वर्तमान में केवल उन औसतन परिवारों को ही शामिल किया है जिनकी (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय 46,000 रूपए तक; तथा इससे कम है।[1]

(1) **भृष्टाचार[2] (Corruption)** : भृष्ट आचरण; व्यक्ति के अनैतिक व्यवहार से कानूनी मान्यताओं का उल्लंघन है। किन्तु समाजशास्त्रीय दृष्टि से किसी व्यक्ति द्वारा 'भृष्टाचार' करना ; आचार संहिता या नैतिकता के विरूद्ध आचरण करना है जिससे मानवीय हितों को आघात/हानि पहुँचतो है। अर्थात् आत्मा या अन्तर्मन की स्वीकृति के बिना या उसके संकोच के बावजूद जो कार्य किया जाता है, वह

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

भृष्टाचार की श्रेणी अन्तर्गत आता है।[3] भृष्टाचार के सूचकों (Indicators) के अन्तर्गत : (1) रिश्वत लेना–देना, (2) सार्वजनिक हित के कार्यों में बाधा उत्पन्न करना या विलम्ब करना, (3) अपने निर्धारित कर्तव्यों की अवहेलना करना अथवा उस कार्यपालन में पक्षपात पूर्ण पद्धति अपनाना, (4) कानून या किसी व्यवस्था के विरूद्ध कार्य करना, (5) नैतिक सिद्धान्तों का उल्लंघन करना, अनुचित लाभ उठाने या दूसरों को लाभ से वंचित करने की दृष्टि से किया गया कोई भी कार्य, अथवा इस उद्देश्यपूर्ति के लिए न्याय संगत तथा निर्धारित कर्तव्य की अवहेलना करना, (6) अन्य लोगों के अनुचित, कानून विरोधी व अनैतिक आचरण को प्रोत्साहित करना, दबा देना या शक्ति व अधिकार होते हुए भी रोकने का प्रयत्न न करना, (7) अपने पद या, अधिकार का दुरूपयोग करके जानबूझकर सरकारी प्रपत्रों को दबा लेना, उनमें हेरफेर करना, गलत सूचना/रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना (न्यायोचित सूचना न देना, न कार्यवाही करना) अथवा उसमें अनावश्यक विलम्ब करना, एवं (8) व्यावसायिक जीवन में कर की चोरी, रिश्वतखोरी, मुनाफाखोरी, तस्करी, कालाबाजारी, मिलावट, घटतौली, जमाखोरी एवं आजीविका सम्बन्धी कार्यों में व्यवधान जनित करना आदि के द्वारा कानून विरोधी कार्य करना जिसके साधन अविश्वास, सन्देह, अनुचित स्वार्थ व कर्तव्यों की अवहेलना से सम्बन्धित होते हैं; उन सभी अनैतिक आचरणों को 'भृष्टाचार' के अन्तर्गत रखा जाता है।[4]

'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' की वर्तमान स्थिति कैसी है (?) की वस्तुस्थिति जानने के लिए शोध–अध्येता ने **निम्न उद्देश्य निर्धारित किए हैं**–

(1) अध्ययनार्थ चयनित बी0पी0एल0 राशनकार्ड धारक निदर्शितों की वैयक्तिक तथा सामाजिक–आर्थिक स्थिति की जानकारी करना।

(2) उपभोक्ताओं को उपभोग वस्तुएं प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।

(3) योजनान्तर्गत व्याप्त 'भृष्टाचार' का अध्ययन करना।

(4) योजना की असफलता हेतु उत्तरदायी कारणों का अध्ययन करना।

(5) योजना के सुचारू संचालन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन के प्रस्तावित उद्देश्यों की पूर्ति एवं प्राप्ति के लिए अध्येता ने **'निम्न शोध परिकल्पनाएं'** निर्मित की हैं जिनकी सत्यता तथा सार्थकता का परीक्षण अध्ययन के अन्तराल (दौरान) में किया जायेगा :

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ढाँचे में ऊपर से नीचे तक ईमानदार व्यक्तियों की कमी है,

(2) इस योजनान्तर्गत गुणवत्ता ही सीमित वस्तुएं, ही प्रदान की जाती हैं।

(3) इस योजनान्तर्गत जन सहभागिता तथा सहयोग का अभाव है।

(4) 'राशन वितरण' में किसी भी तरह की अनियमितता पायी जाने पर डीलर के विरूद्ध दण्डात्तमक कार्यवाही की जाती है।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

(5) इस योजना में मिलावटखोरी, जमाखोरी तथा कालाबाजारी आदि भृष्टाचार व्याप्त हैं।

(6) यह योजना तो अच्छी है, लेकिन योजना के क्रियान्वयन के प्रति अविश्वास, डीलर्स की निष्ठा व ईमानदारी संदिग्ध पायी गयी हैं।

(7) योजना से सम्बन्धित नियमों के उल्लंघनकर्ताओं हेतु कठोर दण्ड का अभाव है।

(8) 'राशन डीलर्स' उपभोग की वस्तुओं के वितरण में प्रायः अनियमितताएं बरतते हैं इसलिए कभी कभी उपभोक्ताओं में आपसी झगड़े तक हो जाते हैं।

(9) 'राशन डीलर्स'; जिला पूर्ति अधिकारी व आपूर्ति विभाग के सक्षम अधिकारियों के मध्य पारस्परिक साँठगाँठ (मिली भगत) होती है।

(10) राशन की वस्तुएं; समय पर वितरित न हो पाने; तथा योजना–क्रियान्वयन में व्याप्त विभिन्न दोषों के कारण 'योजना' लोकप्रियता प्राप्त करने में असफल रही है।

शोध–प्राविधि (अध्ययन क्षेत्र, न्यादर्श चयन तथा अध्ययन–विधियाँ) :

- **अध्ययन–क्षेत्र एवं न्यादर्श चयन** : प्रस्तुत अध्ययन उ0प्र0 के मैनपुरी जिला की पिछड़ी तहसील भोगाँव की नगर पंचायत 'भोगाँव' क्षेत्रान्तर्गत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त/पंजीकृत राशन की कुल 4 दुकानों से वर्तमान में राशन लेने वाले बी0पी0एल0 परिवारों के मुखियाओं जिनके नाम राशन प्राप्त करने वाले रजिस्टर में दर्ज (पंजीकृत) हैं अथवा जिनके पास ''पुराने राशन कार्ड'' हैं, कुल पंजीकृत 601 कार्ड धारकों में से 25% न्यादर्श चयन के आधार पर 150.25 अर्थात् 150 (पूर्णांश) कार्डधारी लाभान्वितों का चयन सौद्देश्य **''संयोग न्यादर्श की लॉटरी प्रविधि''** से किया गया है। इन चयनितों में से ''एक कार्डधारी लाभान्वित'' को अध्ययन की एक इकाई/''सूचनादाता'' (Respondent) माना गया है।

- **अध्ययन विधियाँ** : इस आनुभविक अध्ययन हेतु जहाँ प्राथमिक तथ्य संकलन कार्य ''साक्षात्कार–अनुसूची'' पद्धति द्वारा सूचनादाताओं की प्रत्यक्ष/आमने–सामने की स्थिति में 'व्यक्तिगत साक्षात्कार' करते हुए किया गया है; वहीं द्वैतीयक तथ्यो का संकलन 'राशन की दुकानों' तथा तहसील के खाद्य आपूर्ति विभाग के अभिलेखों से किया गया है। तथ्य संकलन करने के उपरान्त आँकड़े व्यवस्थित कर साँख्यकी की तालिकाकरण विधि अपनाते हुए तथ्यों के आवृत्ति (%) विश्लेषण करते हुए सामन्यीकृत निष्कर्ष निकाले गए हैं। इस प्रकार; इस 'सूक्ष्म आनुभविक अध्ययन' (Micro Empirical Study) की प्रकृति ''वर्णनात्मक'' है। योजना–क्रियान्वयन के प्रति कार्डधारी लाभान्वितों के दृष्टिकोणों का मापन ''थर्सटन मनोवृत्ति मापक'' द्वारा किया गया है।

- **संकलित तथ्य, विश्लेषण तथा निर्वचन** :

  अध्ययन के उददेश्य (1) के सन्दर्भ में 'बो0पी0एल0' **राशन कार्डधारी निदर्शितों की वैयक्तिक तथा समाजार्थिक पृष्ठभूमि के अनुसार** अध्ययन किए गए कुल 150 निदर्शितों में से : विभिन्न

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

चरों/परिवर्त्यों (धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, आय, आयु तथा स्तर) के सापेक्ष प्राप्त तथ्यों के अनुसार धम सापेक्ष 71.33% हिन्दू, 27.33% मुसलमान तथा 1.34% अन्य (सिक्ख व बौद्ध); **जाति सापेक्ष** : 11.33% सामान्य जातियों, 28% पिछड़ी जातियों, 60.67% अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति; **शिक्षा सापेक्ष** : 24% निरक्षर तथा 76% कम शिक्षित, **व्यवसाय सापेक्ष** : 8% लघु व सीमान्त किसान, 2% पशुपालक, 20.03% दैनिक मजदूर, 23.33% छोटे मोटे पेशे वाले तथा 32. 67% कोई पेशा नहीं वाले; **वार्षिक आय सापेक्ष** 13.33% 25000 रू0 तक आय वाले, 63% 25000 से 45000 तक आय वाले तथा 23.33% ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 46000 रू0 तक है, पाए गए हैं जबकि **सामाजिक–आर्थिक स्तर सापेक्ष** अध्ययन करने पर विदित हुआ है कि 83. 33% कार्डधारक 'निम्न स्तर' तथा शेष 16.67% 'निम्न–मध्यम स्तर' के परिवारों के पाए गए हैं। इन तथ्यों के आलोक में **निष्कर्षतः अधिकाँशतः 'निम्न' सामाजिक–आर्थिक दशाओं वाले परिवार; जो कि निर्धनता की सीमा रेखा के अन्तर्गत जीवनयापन कर रहे हैं; शासन द्वारा जनहित में क्रियान्वित 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' जो कि 'जिला आपूर्ति विभाग' के अन्तर्गत विभिन्न सम्बन्धित अभिकरणों की देखरेख में संचालित है अपने क्षेत्राान्तर्गत राशन की पंजीकृत दुकानों से खाद्यान्न सामग्री; निर्धारित मानक (Quota) के अनुरूप प्राप्त कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। 'शासकीय व्यवस्था' होते हुए भी सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक तौर पर उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।** अध्ययनार्थ चयनित सभी 150 सूचनादाताओं के अभिमतों के अनुसार **''लाभान्वितों द्वारा अनुभूत–समस्याओं''** पर निम्न तालिका नं0 (1) संक्षिप्त प्रकाश डालती है :

तालिका नं0 (1) : ''राशन की दुकानों से खाद्य–सामग्री व उपभोग–वस्तुएं लेने में अनुभूत समस्याएं

क्र0	खाद्य सामग्री व उपभोग की वस्तुएं लेने में उपभोक्ताओं द्वारा अनुभूत समस्याएं	सूचनादाताओं की आवृत्तियाँ/प्रतिशत				समस्त (प्रतिशत)
		हाँ	नहीं	उदासीन	अनुत्तरित	
1	राशन की दुकानों के कई–कई चक्कर लगाने पड़ते हैं क्योंकि मिट्टी का तेल प्रायः विलम्ब से ही आता है,	103 (68.67)	– (00.00)	27 (18.00)	20 (13.33)	150 (100.00)
2	राशन में दुकानों से गुणवत्ताहीन तथा उपभोग की सोमित वस्तुएं ही मिलती हैं,	114 (76.00)	– (00.00)	36 (24.00)	– (00.00)	150 (100.00)
3	लाइन में लगकर वस्तुएं लेने पर भी कभी–कभी भीड़ के कारण उपभोक्ताओं में आपस में विवाद (झगड़े) तक हो जाते हैं,	95 (63.33)	– (00.00)	47 (13.33)	8 (05.34)	150 (100.00)
4	राशन की दुकानों के डीलर्स की निष्ठा व ईमानदारी संदिग्ध रहती है,	101 (67.33)	– (00.00)	17 (11.34)	32 (21.33)	150 (100.00)
5	जो कार्डधारक किन्हीं परिस्थितिवश राशन की वस्तुएं लेने नहीं जा पाते हैं, उनकी राशन सामग्री डीलर चोरी छिपे 'मुनाफा' से बेच देते हैं, या जमाखोरी करके खाद्यान्न की 'कालाबाजारी' कर लेते हैं जिसका अनुचित लाभ कभी–कभी गैर–निर्धन	109 (72.66)	– (00.00)	25 (16.67)	16 (10.66)	150 (100.00)

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

6	(ए0पी0एल0) के लोग उठा लेते हैं, डीलर्स राशन कार्ड न होने, या खो जाने की दशा में 'आधार कार्ड' या अन्य विधिक पहचान–पत्र से राशन सामग्री नहीं देना। आदि	105 (70.00)	12 (08.00)	33 (22.00)	– (00.00)	150 (100.00)

(नोट : कोष्ठकों के अन्तर्गत प्रदर्शित आँकड़े प्रतिशतता प्रदर्शित करते हैं)

उक्त अनुभूत समस्याओं के सम्बन्ध में 68.67% लाभान्वितों ने राशन की दुकानों के कई– कई चक्कर लगाने पड़ना स्वीकार किया है क्योंकि मिट्टी का तेल प्रायः विलम्ब से ही आता है, 76% अर्थात् तीन चौथाई से भी अधिक सूचनादाताओं का मानना है कि सरकारी राशन की दुकानों पर गुणवत्ताहीन तथा उपभोग की सीमित वस्तुएं ही मिलती हैं, 63.33% सूचनादाताओं ने बताया कि लाइन में लेकर वस्तुएं लेने पर भी कभी–कभी भीड़ के कारण उपभोक्ताओं में आपस विवाद (झगड़े) तक हो जाते हैं, 67.33% सूचनादाताओं के अनुसार राशन की दुकानों के डीलर्स की सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी संदिग्ध रहती है, 72.66% सूचनादाताओं ने बताया कि जो कार्डधारक किन्हीं परिस्थितिवश राशन की वस्तुएं लेने नहीं जा पाते हैं, उनकी राशन–सामग्री डीलर चोरी छुपे 'मुनाफा' से बेच देते हैं, या जमाखोरी करके **'काला बाजारी'**[5] कर लेते हैं, जिसका ''अनुचित लाभ'' कभी–कभी गैर–निर्धन तथा धनाड्य/व्यापारी वर्ग के लोग उठा लेते हैं; जबकि 70% सूचनादाताओं ने यह बताया है कि राशन कार्ड न होने, या खो जाने की दशा में डीलर्स 'आधार कार्ड', या अन्य किसी विधिक 'पहचान–पत्र' से राशन सामग्री नहीं देते हैं। इन आनुभविक तथ्यों के विश्लेषण आलोक में **स्पष्ट है कि 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' के तहत क्रियान्वित राशन की दुकानों से खाद्य सामग्री व उपभोग की वस्तुएं लेने में वे विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं।**

शोधार्थिनी द्वारा 'सा0वि0 प्रणाली म व्याप्त भृष्टाचार' के बारे में भी जानकारी हासिल की गयी। सभी 150 सूचनादाताओं के व्यक्तिगत साक्षात्कारों से प्राप्त तथ्यों पर निम्न तालिका नं0 (2) संक्षिप्त प्रकाश डालती है :

तालिका नं0 (2) : सार्वजनिक वितरण प्रणाली–अन्तर्गत व्याप्त भृष्टाचार हेतु उत्तरदायी कारण

क्र0	भृष्टाचार हेतु उत्तरदायी कारण	सूचनादाताओं के अभिमत (आवृत्तियाँ/प्रतिशत)				समस्त (प्रतिशत)
		हाँ	नहीं	उदासीन	अनुत्तरित	
1	अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप	98(65.33)	21(14.00)	15(10.00)	16(10.67)	150(100.00)
2	डीलर्स की विभागीय अधिकारियों से साँठगाँठ व मिली भगत रहना	107(71.33)	30(20.00)	–(00.00)	13(08.67)	150(100.00)
3	डीलर्स द्वारा खाद्यान्न की काला बाजारी किया जाना	118(78.67)	–(00.00)	24(16.00)	08(05.33)	150(100.00)
4	नियम निर्देशों की अवहेलना करने पर भी सक्षम अधिकारियों द्वारा डीलर्स के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही न करना आदि	121(80.67)	–(00.00)	19(12.67)	10(06.66)	150(100.00)

(नोट : कोष्ठकों के अन्तर्गत प्रदर्शित आँकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं)

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

*** *राशन कालाबजारी के आरोप में डीलर के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज : नारखी में गत 14 अगस्त को पकड़ा था साढ़े आठ क्विंटल सरकारी गेहूं[5]***

थाना नारखी क्षेत्र में विगत 14 अगस्त को कालाबजारी के लिए ले जाए जा रहे सरकारी खाद्यान्न पकड़ने जाने के मामले में डी.एम. के निर्देश पर राशन डीलर एवं ट्रैक्टर चालक के विरूद्ध थाना नारखी में रिपोर्ट दर्ज हुई है। 14 अगस्त की शाम थाना नारखी पुलिस ने बिना नंबर प्लेट वाला टेक्टर पकड़ा था। ट्रैक्टर में साढ़े आठ क्विंटल सरकारी गेहूं और एक क्विंटल चावल बरामद हुआ था। मौका देखकर ट्रैक्टर चालक स्वराज निवासी– गांगनी फरार हो गया था। जांच में पकड़े गए खाद्यान्न में राजपुर कोटला स्थित ग्याप्रसाद नामक राशन डीलर की संलिप्तता सामने आई थी। पूर्ति निरीक्षक सुरेंद्र प्रताप ने जांच में राशन डीलर ग्याप्रसाद को सरकारी खाद्यान्न की कालाबजारी का दोषी माना। इसके बाद पुलिस और पूर्ति निरीक्षक की जांच के आधार पर डी.एम. नेहा शर्मा की संस्तुति पर डी.एस. ओ. अमित कुमार तिवारी ने राशन डीलर ग्याप्रसाद निवासी– राजपुर कोटला और ट्रैक्टर चालक स्वराज के विरूद्ध वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है।

प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन किए गए कुल 150 सूचनादाताओं में से 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भृष्टाचार' के सन्दर्भ में 65.33% सूचनादाताओं ने अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप, 71.33% सूचनादाताओं ने डीलर्स की विभागीय अधिकारियों से साँठगाँठ व मिली भगत होना, 78.67% सूचनादाताओं ने डीलर्स द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी किया जाना, तथा 80.67% सूचनादाताओं क अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के शासकीय नियम–निर्देशों की अवहेलना करने पर भी सक्षम अधिकारियों द्वारा डीलर्स के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही न करना; योजनान्तर्गत व्याप्त भृष्टाचार हेतु प्रमुख उत्तरदायी कारण हैं। निम्न तालिका नं0 (3) योजना की सफलता के मार्ग म आने वाली बाधाओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है :

तालिका नं0 (3) : 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' की सफलता के मार्ग में बाधाएं

क्र0	'सा0वि0प्र0' की सफलता के मार्ग में बाधाएं	सूचनादाताओं के अभिमत (आवृत्तियाँ / प्रतिशत)				समस्त (प्रतिशत)
		हाँ	नहीं	उदासीन	अनुत्तरित	
1	सा0वि0प्र0 के ढ़ाँचे में ऊपर से नीचे तक ईमानदार व निष्ठावान कर्मचारियों का अभाव है,	105(70.00)	–(00.00)	35(23.33)	10(06.67)	150(100.00)
2	योजनान्तर्गत गुणवत्ताहीन सीमित वस्तुएं ही उपभोक्ताओं को प्रदान की जाती हैं	114(76.00)	–(00.00)	36(24.00)	–(00.00)	150(100.00)
3	योजनान्तर्गत 'जन सहभागिता', समन्वय तथा सहयोग का अभाव है,	101(67.33)	18(12.00)	19(12.67)	12(08.00)	150(100.00)
4	अनियमितताएं पायी जाने पर भी डीलर्स के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही न किया जाना,	121(80.67)	–(00.00)	19(12.67)	10(06.67)	150(100.00)
5		109(72.67)	–(00.00)	30(20.00)	11(07.33)	150(100.00)

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

6	योजनान्तर्गत मिलावटखोरी, जमाखोरी तथा कालाबाजारी आदि भृष्टाचार व्याप्त होना,	101(67.33)	05(03.33)	17(11.33)	27(18.00)	150(100.00)
7	योजना–क्रियान्वयन के प्रति अविश्वास एवं डीलर्स की ईमानदारी व सत्यनिष्ठा संदिग्ध होना, राशन डीलर्स द्वारा विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं बरतना इत्यादि	98(65.33)	20(23.33)	32(21.33)	–(00.00)	150(100.00)

(नोट : कोष्ठकों के अन्तर्गत प्रदर्शित आँकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं)

प्रसंगाधीन तालिका नं0 (3) 'सा0वि0प्र0' की सफलता के मार्ग में बाधाओं (Hardles) पर प्रकाश डालती है; 70% सूचनादाताओं के अनुसार योजना के ढ़ाँचे में ऊपर से नीचे तक ईमानदार व निष्ठावान कर्मचारियों का अभाव होना, 76% सूचनादाताओं के अनुसार योजनान्तर्गत गुणवत्ताहीन सीमित वस्तुएं ही उपभोक्ताओं को दिए जाना, 67.33% सूचनादाताओं के अनुसार जन सहयोग तथा समन्वय का अभाव होना, 80.67% सूचनादाताओं के अनुसार अनियमितताएं पायी जाने पर भी डीलर्स के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही न किया जाना, 72.67% सूचनादाताओं के अनुसार योजनान्तर्गत मिलावटखोरी, जमाखोरी तथा कालाबाजारी आदि भृष्टाचार व्याप्त होना, 67.33% सूचनादाताओं के अनुसार योजना–क्रियान्वयन के प्रति अविश्वास तथा डीलर्स की ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा संदिग्ध होना तथा 65.33% सूचनादाताओं के अनुसार राशन डीलर्स द्वारा भाँति–भाँति की अनियमितताएं बरतना इत्यादि योजना की सफलता के मार्ग की बाधाएं हैं।

- **<u>परिकल्पनाओं की सत्यता तथा सार्थकता के परीक्षण</u>** :

1. परिकल्पना नं0 (1) सत्य तथा सार्थक सिद्ध हुई है [दृष्टव्य : तालिका नं0 (3), स्तम्भ (1), क्र0सं0 (1) हाँ का प्रतिशत]

2. परिकल्पना नं0 (2) सत्य तथा सार्थक सिद्ध हुई है [दृष्टव्य : तालिका नं0 (2), क्र0सं0 (2), स्तम्भ हाँ–प्रतिशत] एवं [तालिका नं0 (3), क्रमाँक–2, स्तम्भ हाँ (%)]

3. परिकल्पना नं0 (3) भी सत्य तथा सार्थक पायी गयी है [दृष्टव्य : तालिका नं0 (3), क्रमाँक (3), कॉलम हाँ का प्रतिशत]

4. परिकल्पना नं0 (4) भो सत्य तथा प्रासंगिक पायी गयी है [दृष्टव्य : तालिका नं0 (2), क्रमाँक (4) तथा तालिका नं0 (3), क्रमाँक (4), स्तम्भ (%) 80.67%]

5. परिकल्पना नं0 (5) सत्य तथा सार्थक सिद्ध हुई है [दृष्टव्य : तालिका नं0 (3), क्रमाँक (5)]

6. परिकल्पना नं0 (6) भी सत्य सिद्ध हुई है [दृष्टव्यः तालिका नं0 (3), क्रमाँक (6)]

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

7. परिकल्पना नं0 (7) भी सत्य तथा प्रासंगिक/सार्थक सिद्ध हुई है [दृष्टव्य : तालिका नं0 (3), क्रमाँक (4)]

8. परिकल्पना नं0 (8) भी सत्य तथा सार्थक पायी गयी है [दृष्टव्य : तालिका नं0 (1), क्रमाँक (3)]

9. परिकल्पना नं0 (9) सत्य सिद्ध हुई है [दृष्टव्य : तालिका नं0 (2), क्रमाँक (2)]

10. परिकल्पना नं0 (10) भी अध्ययन में सत्य व सार्थक पायी गयी है कि योजनान्तर्गत विभिन्न दोष होने के कारण योजना लोकप्रियता हासिल न कर सकी है [दृष्टव्य : तालिका नं0 (2) तथा तालिका नं0 (3)]

निष्कर्ष एवं सुझाव :

इस 'सूक्ष्म आनुभविक समाजशास्त्रीय अध्ययन' के प्राथमिक तथ्यों के प्रकाश में निष्कर्ष है कि (1) 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' निर्बल वर्गों के लिए जीविकोपार्जन का एक अहम साधन है, (2) यह योजना जनहितकारी है लेकिन योजनान्तर्गत व्याप्त भृष्टाचार के कारण असफल सिद्ध हो रही है, तथा (3) यदि जनता हृदय से सहयोग करे, तो यह योजना प्रत्येक गरीब के द्वार तक पहुँच सकती है एवं प्रणाली का अन्जाम और भी अच्छा हो सकता है। शोधार्थिनी का सुझाव है कि योजना के नियम–निर्देशों की अवमानना करने वालों, भृष्टाचारियों एवं दोषियों के विरूद्ध अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए ''भृष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2013 के तहत'' कठोरतम दण्ड दिए जांय ताकि योजना से जुड़ा कोई भी व्यक्ति 'भृष्टाचार' करने की सोच भी न सके।

सन्दर्भ सूची (References) :

सीताराम; ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनता की रेखान्तर्गत (बी0पी0एल0) परिवारों का समाजशास्त्रीय अध्ययन, ***'राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा' ''नेशनल रैफ्रीड जर्नल ऑफ सोसल साइन्सेज'' (यू0जी0सी0 अनुमोदित),*** *समाज विज्ञान संस्थान बरेली, वर्ष 19, अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2017, पृष्ठ–130*

शुक्ला निवेदिता; सार्वजनिक जीवन में भृष्टाचार का अध्ययन, प्रकाशित शोध–पत्र ***''सामाजिक सहयोग' राष्ट्रीय त्रैमासिक शोध पत्रिका (उज्जैन)*** *म0प्र0, 2003, पृष्ठ 61–67*

वर्मा ओ0पी0; इण्डियन सोसल प्रॉब्लम्स, (करप्सन इन पब्लिक लाइफ), विकास प्रकाशन कानपुर, 2004, पृष्ठ–109

वर्मन जगदीश; करप्सन वर्सिस 'व्हाइट कॉलर क्राइम' (भृष्टाचार बनाम श्वेत– बसन अपराध), ***हिन्दुस्तान टाइम्स (समाचार–पत्र),*** *दिल्ली संस्करण, 21 सितम्बर, 2001*

'अमर उजाला' *(समाचार–पत्र) ब्यूरो, ''राशन कालाबाजारी के आरोप में डीलर के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज, 18 अगस्त 2018, कॉलम 6–7, पृष्ठ–6*

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies